



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पंजी II प्रति

February 17, 2023

भाग वर्तमान	10	पृष्ठ संख्या	70											
जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हलका का नाम	हलका-04	इस्टेट का नाम	JHARKHAND					
मौजा का नाम	भेलाटाड	होलिडिंग संख्या	13	तौजी संख्या		थाना नम्बर	89	खाता का प्रकार	सिकमी					
श्रीमती लीला देवी , पति-श्री चन्द्रकेत सिंह, जाति- ----														
खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार						लगान	सेस		
13	533	0 ऐ 4.95 डि 0 हे			नामान्तरण मुकदमा संख्या 12508/2021 - 2022						6	0		
कुल परिमान		0 ऐ 4.95 डि 0 हे												
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल	
2021-10-13 10:41:46	0459626428	2021-2022	2021-2022	0	6	0	1.5	0	3	0	3	0	1.2	
06-07-2022	0515583338	2022-2023	2022-2023	0	6	0	1.5	0	3	0	3	0	1.2	

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

नक्शा देखें



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।

Document No.:RPTOR9428643/17-Feb-2023



अंचल अधिकारी का कार्यालय

गोविन्दपुर ,धनबाद

प्राप्ति रसीद

नामांतरण मुकदमा संख्या : 12508 R27/ 2021 - 2022 /गोविन्दपुर

आवेदक का नाम	अभिभावक का नाम	पता
श्रीमती लीला देवी	श्री चन्द्रकेत सिंह	झरिया धनबाद

से नामांतरण हेतु आवेदन (संख्या - 28643) प्राप्त किया गया ।

क्रेता का विवरण

क्रेता का नाम	अभिभावक का नाम	पता
श्रीमती लीला देवी	श्री चन्द्रकेत सिंह	झरिया धनबाद

विक्रेता का विवरण

विक्रेता का नाम	अभिभावक का नाम	पता
श्रीमती अराधना सिंह	श्री राजेश्वर सिंह	नियर शिव मंदिर हिरापुर धनबाद
श्रीमती नूतन सिंह	श्री कुन्दन कुमार सिंह	हरि मंदिर रोड हिरापुर धनबाद

भूमि का विवरण

मौजा: भेलाटाड थाना : 89

MAUJA_CODE	खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा
89	13	533	0 एकड़,4.95 डिसमील, 0हेक्टर

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी)


कोरोना के कहर से बचें, घर में सुरक्षित रहे ।



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9428643

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-04
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	10	पृष्ठ संख्या वर्तमान	70	थाना न.	89
वर्तमान(VOL)							
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है	कारोबार विस्तृत सूचना
28643	12508 /R27 2021 - 2022	भेलाटाड/ 89	गोविन्दपुर	08/10/2021	By Sale Registration Done Dated 08/07/2020	खाता न. 13 भाग वर्तमान 2 पृष्ठ संख्या वर्तमान 19	खाता न. 13 प्लॉट न. 533 क्षेत्रफल 4.95 डिसमील
क्रेता का नाम : (श्रीमती लीला देवीपति-श्री चन्द्रकेत सिंह, जाति-----, पता- झरिया धनबाद)		जमाबंदी रैयत का नाम : ARADHANA SINGH-पति-RAJESHWAR SINGH		विक्रेता का नाम : श्रीमती अराधना सिंह, पति-श्री राजेश्वर सिंह नियर शिव मंदिर हिरापुर धनबाद वो श्रीमती कुन्दन कुमार सिंह, जाति-----, पता-हरि म धनबाद			
राजस्व कर्मचारी हलका-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।						Signature valid  Digitally signed by RAMJI VERMA अंचलाधिकारी गोविन्दपुर	
कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान 							

Duplicate Copy

17-Feb-2023

आदेश

तिथि

Oct 8 2021

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भेलाटाड थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
13	533	0 एकड़, 4.95 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती अराधना सिंह	पति	श्री राजेश्वर सिंह
श्रीमती नूतन सिंह	पति	श्री कुन्दन कुमार सिंह

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2199 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ARADHANA SINGH	पति	RAJESHWAR SINGH

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **₹०**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

RAMJI VERMA

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर